संख्या- 69/2026/847/छप्पन-2026

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2026

विषय: नये क्रय किये गये हेलीकाप्टर AW139 पर श्री रवि चंद्रवंशी उप निदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को प्रशिक्षण दिलाए जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1094/ना0उ0नि0/इंजी0/एफ-2/2026, दिनांक 10 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नये क्रय किये गये हेलीकाप्टर AW39 के क्रय के संबंध में निर्माता कम्पनी M/s Leonardo Helicopter, Italy से बनी सहमति के अनुसार निर्माता कम्पनी द्वारा इटली स्थित अपनी फैसेलिटी में निदेशालय से तीन Cat B1.3 Engineer दो Cat B2 Engineer तथा एक DGCA Representative को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।

वर्तमान में नये क्रय किये गये हेलीकाप्टर AW139 पर निम्नलिखित DGCA Representative को निर्माता कम्पनी की फैसेलिटी M/s Leonardo Helicopter, Italy उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि/स्थान पर निर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेश भेजे जाने का प्रस्ताव है:-

क्रमांक	DGCA Representative Name	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण का स्थान
01	श्री रवि चंद्रवंशी	24 August 2026 to 18 September 2026	इटली

उपरोक्तानुसार DGCA भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री रवि चंद्रवंशी उप निदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय को AW139 पर प्रशिक्षित कराये जाने की स्वीकृति तथा इसके निमित्त रूपये 9,00,000/-(रूपये नौ लाख मात्र) DGCA के Bharat Kosh खाते में जमा कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2026-27 में DGCA भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री रवि चंद्रवंशी उप निदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय को AW139 पर प्रशिक्षित कराये जाने की स्वीकृति तथा इसके निमित्त रूपये 9,00,000/-(रूपये नौ लाख मात्र) DGCA के Bharat Kosh खाते में जमा कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रखरखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रांसगिक व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव।

संख्या- 69/2026/847(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- श्री रवि चंद्रवंशी उप निदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
7- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।